

आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 12.09.2025

समय : 1905



- भारत के पन्द्रहवें उपराष्ट्रपति के रूप में सी पी राधाकृष्णन ने ली शपथ।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना पर साझा किया एक महत्वपूर्ण लेख।
- जी एस टी काउंसिल के होने वाले सुधारों से देशभर में व्यापारिक माहौल में सुधार।
अंडमान निकोबार को मिलेगी विशेष राहत।
- अंडमान निकोबार में प्रदूषण नियंत्रण समिति ने औद्योगिक इकाइयों को संचालन सहमति लेने की समय सीमा इक्तीस अक्टूबर तक बढ़ाई।



श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने आज भारत के पन्द्रहवें उपराष्ट्रपति के पद पर शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति भवन में हुए इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने श्री राधाकृष्णन को पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जे पी नड्डा, पीयूष गोयल और नितिन गडकरी सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित थे। शपथ ग्रहण के बाद, श्री सी पी राधाकृष्णन ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि दी। चार मई उन्नीस सौ सत्तावन को तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे श्री राधाकृष्णन ने अपनी शिक्षा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में की

और आर एस एस से जुड़े। वह उन्नीस सौ चौहत्तर में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य बने और बाद में लोकसभा सदस्य के रूप में कोयंबटूर से चुनाव जीते। इसके बाद उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन को जनता की सेवा समर्पित एक सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना पर एक महत्वपूर्ण लेख साझा किया, जिसमें उन्होंने इस परियोजना के सामरिक, रक्षा और राष्ट्रीय महत्व को रेखांकित किया। यह परियोजना हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के समुद्री और हवाई संपर्क को मजबूत करेगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में भी भारत की भूमिका को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस विषय पर एक पोस्ट साझा की, जिसका प्रधानमंत्री ने उत्तर देते हुए कहा, “ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना इस क्षेत्र को हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री और हवाई संपर्क के एक प्रमुख केंद्र में बदल देगी। यह परियोजना सामरिक, रक्षा और राष्ट्रीय महत्व की है, और इसे अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के एक दूसरे के पूरक होने के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।



भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल और सड़क परिवहन क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी दरों में अहम बदलाव किए हैं। जीएसटी परिषद की छप्पनवीं बैठक में लिए गए निर्णय के तहत अब मोटरसाइकिल, कार और बसों पर जीएसटी अट्ठाईस प्रतिशत से घटाकर अट्ठारह प्रतिशत, और ट्रैक्टरों पर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, ऑटो-कंपोनेंट्स पर भी जीएसटी दर को एक समान अट्ठारह प्रतिशत किया गया है, जिससे एमएसएमई, आपूर्ति श्रृंखला और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम बाईस सितंबर दो

हजार पच्चीस से प्रभावी होगा और इससे न केवल वाहनों की कीमतों में कमी, बल्कि मांग में वृद्धि, रोजगार सृजन और स्वच्छ परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे तीन दशमलव पांच करोड़ से अधिक रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है। सरकार का मानना है कि यह निर्णय मेक इन इंडिया, पी.एम गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसे अभियानों को भी मजबूती देगा।



जीएसटी काउंसिल की बैठक में अहम सुधारों को मंजूरी दिए जाने के बाद देश भर से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह से अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. के. चंद्रशेखरन ने कहा कि अब जीएसटी के पांच स्लैब्स की जगह चार स्लैब्स होंगे — शून्य, पांच, बारह और अट्ठारह प्रतिशत, जिसमें अट्ठारह प्रतिशत स्लैब को अट्ठारह प्रतिशत में समाहित किया गया है। इसके अलावा, तैंतीस दवाओं को जीरो टैक्स स्लैब में रखा गया है, जिनमें कैंसर की दवाइयां भी शामिल हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी शून्य प्रतिशत टैक्स लागू किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिलों पर टैक्स को अट्ठारह प्रतिशत से घटाकर अट्ठारह प्रतिशत किया गया है और एक हजार दौ सौ सीसी तक की कारों पर भी टैक्स में कमी की गई है। नए व्यापारियों के लिए जीएसटी प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है, जिससे रजिस्ट्रेशन में केवल तीन दिन का समय लगेगा। अंडमान-निकोबार के लिए बड़ी राहत भी दी गई है, जहां सीमेंट पर दस प्रतिशत टैक्स की कमी की गई है, जिससे व्यापार और उपभोक्ताओं को लाभ होगा।



जीएसटी परिषद की छप्पनवीं बैठक में कोयला क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब परिषद ने जी एस टी क्षतिपूर्ति उपकर हटाने और कोयले पर जी एस टी दर को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर अट्ठारह प्रतिशत करने की सिफारिश की है। इससे पहले कोयले पर पांच

प्रतिशत जी एस टी के साथ साथ चार सौ रुपये प्रति टन का क्षतिपूर्ति उपकर लगता था। इससे कोयला क्षेत्र में कर भार में संतुलन आएगा, खासतौर पर जी सिक्स से जी सेवेन्टीन ग्रेड तक के कोयले पर कर बोझ कम होगा। सुधारों से बिजली क्षेत्र के उत्पादन लागत में सत्रह से अट्ठारह पैसे प्रति किलोवाट घंटा की कमी आएगी। इसके अलावा, कोयला कंपनियों के लिए अप्रयुक्त जीएसटी क्रेडिट का उपयोग अब जीएसटी देयता के भुगतान में किया जा सकेगा, जिससे नकदी की समस्या कम होगी। ये बदलाव भारतीय कोयला उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएंगे और आयात पर निर्भरता घटाने में मदद करेंगे, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम उठाया जाएगा।



अंडमान और निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने बिना पूर्व प्रदूषण मंजूरी के स्थापित औद्योगिक इकाइयों के लिए संचालन सहमति प्राप्त करने की समय सीमा बढ़ाकर इक्कीस अक्टूबर तक कर दी है। यह निर्णय इस वर्ष मई में आयोजित चौतीसवीं बैठक में लिया गया था। समिति ने पाया कि कई औद्योगिक इकाइयाँ बिना आवश्यक प्रदूषण अनुमति के संचालित हो रही हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के नियमों का उल्लंघन है। अब, सी.टी.ओ तभी जारी किया जाएगा जब इकाइयाँ सभी पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करेंगी। सभी आवेदन ऑनलाइन पोर्टल www.anocmms.nic.in पर जमा किए जाने चाहिए।



डॉ. बी. आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान ने कल नानकॉरी द्वीप के बीस आदिवासी युवाओं का शैक्षिक एवं सांस्कृतिक दौरा आयोजित किया था। यह दौरा "प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण छात्रों को जोड़ना" कार्यक्रम के तहत हुआ। युवाओं को संस्थान की शैक्षणिक सुविधाओं, प्रयोगशालाओं और तकनीकी शिक्षा के अवसरों से परिचित कराया गया। उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग प्रदर्शनी और ऑटोमोबाइल अनुभाग का दौरा किया। छात्रों ने तकनीकी

प्रगति पर प्रस्तुति दी और करियर मार्गदर्शन भी प्रदान किया। जनजातीय कल्याण विभाग ने इस पहल की सराहना की।

